उपकार

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा

लेखकद्वय
डॉ. लाल एवं जैन

उपकार प्रकाशन, आगरा

उपकार प्रकाशन

“Your Feedback, Our Guidance”

SCAN ME!

Scan and Share Your Experience With Us

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हैड ऑफिस : 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खंदारी आगरा–मथुरा, बाईपास, आगरा-282 005
रजि. ऑफिस : 2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), आगरा-282 002
फोन : 2530966, 2531101
E-mail : care@upkar.in, **Website :** www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस
8-310/1, ए. के. हाउस,
हीरानगर, **हल्द्वानी,**
जिला—नैनीताल—263139 (उत्तराखण्ड)
मोबा. : 7060421008

- *इस पुस्तक का सम्पूर्ण कॉपीराइट प्रकाशक के पास है. प्रकाशक से बिना लिखित अनुमति लिए, इस पुस्तक के किसी भी भाग को दोबारा बनाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी और माध्यम से नहीं भेजा जा सकता. ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और वह नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा.*
- *इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.*
- *किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.*

ISBN : 978-93-6319-725-1

Code No. 2465

मुद्रक : उपकार प्रकाशन, (उपकार स्टेशनरी प्रा. लि.) बाईपास रोड, आगरा

विषय-सूची

- गत वर्ष का हल प्रश्न-पत्र

भाग–I

- **विषयगत ज्ञान..1–64**

भाग–II

- **गणित एवं जीव विज्ञान 1–68**
  - — चारों मौलिक प्रक्रियाएँ..................................... 3
  - — दशमलव भिन्न 7
  - — महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक 9
  - — साधारण भिन्न 12
  - — वर्गमूल 17
  - — प्रतिशत... 19
  - — अनुपात व समानुपात 24
  - — साझा.. 27
  - — लाभ-हानि... 29
  - — काम और समय 35
  - — समय तथा दूरी 41
  - — ब्याज.. 46
  - — औसत 52
  - — क्षेत्रफल 56
  - — आयतन.. 60
  - — स्टॉक तथा शेयर.. 63
- **सांख्यिकी 1–16**
- **मैन्सुरेशन 1–8**
- **जीव-विज्ञान 1–28**

भाग–III

- **कम्प्यूटर ज्ञान.......................................1–24**

भाग–IV

- **उत्तर प्रदेश : सामान्य जानकारी.............1–64**
  - — प्रथम एवं सर्वाधिक बार नियुक्ति....................... 4
  - — उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना..................... 5
  - — उत्तर प्रदेश की जनगणना 6
  - — वन एवं वन्यजीव संरक्षण.................................. 7
  - — भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 8
  - — उत्तर प्रदेश के रामसर भूमि स्थल 9
  - — देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 9
  - — कृषि सम्बन्धित प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले वर्ष...... 10
  - — पशुधन गणना 2019 : उत्तर प्रदेश 10
  - — प्रमुख नगरों के उपनाम.................................... 10
  - — विशेष स्थल, पार्क, सिटी एवं केन्द्र 11
  - — विविध महत्वपूर्ण तथ्य..................................... 12
  - — उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ 12
  - — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण................. 13
  - — उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय संस्थान/संगठन........ 14
  - — उत्तर प्रदेश : राज्य मंत्रिपरिषद्.......................... 15
  - — उत्तर प्रदेश : इतिहास के आइने में.................... 16
  - — उत्तर प्रदेश : नदियाँ एवं झीलें 26
  - — नदियाँ किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर... 28
  - — उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाँध 28
  - — उत्तर प्रदेश के प्रमुख जल प्रपात........................ 28
  - — उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें एक नजर में 29
  - — उत्तर प्रदेश : जलवायु 30
  - — रेल परिवहन... 31
  - — वायु परिवहन.. 32
  - — जल परिवहन... 32
  - — दूर संचार... 33
  - — उत्तर प्रदेश : ऊर्जा संसाधन 33
  - — उत्तर प्रदेश : खनिज संसाधन............................ 34
  - — उत्तर प्रदेश : मृदा संरचना................................ 34
  - — उत्तर प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन 35
  - — उत्तर प्रदेश : औद्योगिक परिदृश्य 38
  - — उत्तर प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य 43
  - — उत्तर प्रदेश : कला एवं संस्कृति........................ 46
  - — चित्रकला एवं मूर्तिकला..................................... 47
  - — संगीत कला... 48
  - — प्रदेश के प्रमुख घराने 48
  - — प्रदेश के प्रमुख वादक...................................... 49
  - — प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य (नाट्य कला) 49
  - — प्रदेश के प्रमुख लोकगीत................................... 50
  - — प्रदेश के प्रमुख मेला/महोत्सव............................ 50
  - — उत्तर प्रदेश : ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल... 51
  - — उत्तर प्रदेश : अनुसूचित जनजातियाँ..................... 55
  - — उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 55
  - — उत्तर प्रदेश : समसामयिक घटनाएँ...................... 57
- **उत्तर प्रदेश : वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 1–16**

परीक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- **आयु सीमा**

  उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो.

  परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए.

- **अनिवार्य अर्हता**

  अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)–उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

  अधिमानी अर्हता–उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

  (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

  (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अथवा

  (3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

  (4) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

- **शारीरिक मानदण्ड व शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा**

  शारीरिक मानक परीक्षा–उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों से, जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी.

  शारीरिक मानक परीक्षण का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

  (1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक,

  (2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,

  (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक.

1. **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–**

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर

(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर

सीने का फुलाव

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर

(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर

टिप्पणी–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है.

2. **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–**

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर

(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर

वजन–45 से 58 किग्रा.

3. शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

4. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षा–ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी.

शारीरिक दक्षता परीक्षण 3 सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक,

(2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,

(3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक.

(क) पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किग्रा का भार लेकर 04 घण्टे में 25 किमी की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 04 घण्टे में 14 किमी की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है. यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है.

(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जाएगा.

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा. इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा.

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाए जाते हैं, वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे.

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा. सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और जहाँ तक सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा.

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के पदाभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थतता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जाएगी.

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा.

चिकित्सीय परीक्षा—ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किए गए हों, चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी.

जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाएगी, वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे. प्रत्येक चिकित्सा परिषद् के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि उसमें चिकित्सकीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी. यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है. परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर जहाँ कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किया जाए अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

- **चिकित्सा निर्देशिका के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण**

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा. चिकित्सा परिषद् मुख्यतया मानव शरीर की कमियों यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जाँच करेगा. परिषद्, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है.

(ख) दिन की समाप्ति पर प्रतिदिन परिणाम को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और माइक से उद्घघोषित किया जाएगा और जहाँ तक सम्भव हो वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

(ग) चिकित्सा परिषद् के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे.

(घ) चिकित्सकीय परीक्षा मात्र अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा.

- **चयन की प्रक्रिया**

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015 /857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक-11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक-20-11-2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जाएगी तथा अभ्यर्थियों से निम्नानुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी—

लिखित परीक्षा–अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी. लिखित परीक्षा हेतु शासनादेश संख्या–279/47–का–3–2024, दिनांक–08-05–2024 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है. परीक्षा तिथि के सम्बन्ध में यथासमय सूचित किया जाएगा.

- **परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम**

लिखित परीक्षा–प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी. परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी.

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा–

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	विषयगत ज्ञान	50	50	**दो घण्टा (120 मिनट)**
भाग-2	प्रारम्भिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान	15	15	
भाग-3	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-4	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
	योग	100	100	

नोट–उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी.

पाठ्यक्रम

भाग-1
(विषयगत ज्ञान)

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार
2. आरक्षित वन और संरक्षित वन
3. हाथी और टाइगर रिजर्व
4. हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन (पारितंत्र एवं इसके संघटक, आहार शृंखला एवं जाल, ओजोन परत तथा इसका अपक्षय, कचरा प्रबन्धन)
5. जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण
6. मृदा और आर्द्रता संरक्षण
7. वनीकरण और कृषि वानिकी
8. वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम
9. वन उपज
10. मानव-वन्यजीव संघर्ष
11. वन पर्यावरण और उसके लाभ
12. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
13. भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान
14. वन पारिस्थितिकी
15. भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र

भाग-2
(प्रारम्भिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान)

गणित–प्रतिशतता, लाभ–हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्तक एवं महतम समापवर्त्य, बुनियादी ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिधि, वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक.

जीव विज्ञान–जैव प्रक्रम (पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन), नियंत्रण एवं समन्वय (जन्तु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जन्तुओं में हार्मोन), जीव जनन (एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन), आनुवांशिकता.

भाग-3
(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग.
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान
  - I. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
  - II. इनपुट एवं आउटपुट
  - III. इण्टरनेट प्रोटोकॉल/आई. पी. एड्रेस
  - IV. आई. टी. गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग
  - V. ई-मेल आई. डी. को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन
  - VI. प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन
  - VII. वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व
  - VIII. ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई–गवर्नेंस
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि.

भाग-4
(उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

प्रश्न-पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति–रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे.